स्थायी आदेश सं0 274 /2000
(उग्रवाद की घटनाओं के अभिलेखीकरण से संबंधित)

ऐसा देखा जा रहा है कि उग्रवादियों द्वारा कारित घटना की प्राथमिकी अंकित करते समय लाल स्याही से उग्रवादी संगठन/घटना नहीं लिखने के कारण कभी कभी इन घटनाओं को विशेष प्रतिवेदित नहीं किया जाता है जिससे अभिलेखीकरण प्रतिकूलतया प्रभावित होता है ।

ऐसा भी देखा जा रहा है कि विशेष प्रतिवेदित होने पर भी इसकी प्रति आरक्षी महानिरीक्षक (वि0का0) अपराध अनुसंधान विभाग को पृष्ठांकित नहीं की जाती है ।

अभिलेखीकरण को नियमित करने के उद्देश्य से आदेश दिया जाता है कि -

1. उग्रवादी सभी घटनाओं की प्राथमिकी को लाल स्याही से चिन्हित करके भेजा जायेगा तथा सभी ऐसे मामलों को विशेष प्रतिवेदित काण्ड घोषित किया जायेगा ।
2. ऐसे सभी काण्डों के विशेष प्रतिवेदन आरक्षी महानिरीक्षक (वि0का0), अपराध अनुसंधान विभाग को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा ।
3. सभी जिलों में उग्रवादी कांडों में वांछित व्यक्तियों के नाम पतों की सूची बनाकर रखी जायेगी तथा प्रतिमाह सूची अद्यतन कर आरक्षी महानिरीक्षक (वि0का0), अपराध अनुसंधान विभाग को भेजी जायेगी ।

(के0 ए0 जैकब)
महानिदेशक सह आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 699 /अभियान
महानिदेशक सह आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक: 7-06-2000

प्रतिलिपि:
1. सभी आरक्षी अधीक्षक
2. सभी उप महानिरीक्षक
3. सभी प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक
4. आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग/ (वि0का0), अप0अनु0 विभाग/ अभियान

आरक्षी महानिरीक्षक (अभियान),
बिहार, पटना ।